न्यायालय राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर

अपील / सीलिंग / 4968 / 1999 / जिला बून्दी

भंवर सिंह पुत्र गोपाल सिंह, निवासी खजूरा, तहसील नैनवां, जिला बून्दी ।

.....अपीलार्थी

बनाम

राजस्थान सरकार ।

.....प्रत्यर्थी

एकल-पीठ

श्री प्रमिल कुमार माथुर, सदस्य

उपस्थित :

श्री योगेन्द्र सिंह, अभिभाषक अपीलार्थी

श्री सुरेन्द्र शर्मा, उप राजकीय अभिभाषक प्रत्यर्थी

दिनांक : 14 मार्च, 2013

निर्णय

1- हस्तगत् अपील राजस्थान कृषि जोतों पर अधिकतम जोत सीमा अधिरोपण अधिनियम, 1973 (संक्षेप में अधिनियम) की धारा-23(2ए) के अन्तर्गत, विद्वान अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रशासन) बून्दी द्वारा दिनांक 30-9-1999 को पारित निर्णय के विरूद्ध प्रस्तुत की गयी हैं ।

2- प्रकरण के सुसंगत तथ्य संक्षिप्त में निम्न प्रकार से है कि अपीलार्थी / अप्रार्थी भंवर सिंह के विरूद्ध राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 के अध्याय 3(ख) (संक्षिप्त में निरसित अधिनियम) के अन्तर्गत सीलिंग प्रक्रिया दर्ज कर कार्यवाही प्रारम्भ की गयी । जिसके अनुसरण में विद्वान उप खण्ड अधिकारी, नैनवां ने अपने निर्णय दिनांक 13-9-1971 द्वारा अपीलार्थी / अप्रार्थी की 285 बीघा 10 बिस्वा भूमि में से 84 बीघा भूमि अधिग्रहण करने के आदेश दिये । तत्पश्चात् राजस्थान सरकार ने आदेश क्रमांक प-1(2055)राज./सी/79 दिनांक 22-6-1981 द्वारा प्रकरण को अधिनियम की धारा-15(2) के अन्तर्गत पुनः खोले जाने का आदेश प्रदान कर, जिलाधीश, बून्दी को अग्रिम कार्यवाही हेतु प्राधिकृत किया । तदुपरान्त विद्वान अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रशासन) बून्दी ने अपीलार्थी / अप्राथी को युक्ति युक्त सुनवाई का अवसर प्रदान कर निर्णय दिनांक 30-9-1999 के द्वारा अपीलार्थी / अप्रार्थी के पास सीलिंग सीमा से 43.29 स्टेण्डर्ड एकड़ भूमि अधिशेष होना मानकर अधिग्रहण करने का आदेश दिया । विद्वान अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रशासन) बून्दी द्वारा पारित निर्णय दिनांक 30-9-1999 से व्यथित होकर हस्तगत् अपील राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर के समक्ष प्रस्तुत की गयी है ।

3- मैंने उभय पक्ष के विद्वान अभिभाषकगण की बहस सुनी एवं पत्रावली का अवलोकन किया ।

4- विद्वान अभिभाषक अपीलार्थी का कथन है कि विचारण न्यायालय ने कार्यवाही करते समय अपीलार्थी को सुनवाई का अवसर प्रदन नहीं किया है । मूल रूप से दिनांक 13-9-1971 को पारित निर्णय के विरूद्ध प्रथम अपील राजस्व अपील प्राधिकारी द्वारा दिनांक 16-6-1975 को निस्तारित की जा चुकी है । दिनांक 13-9-1971 का निर्णय अपीलीय न्यायालय के निर्णय दिनांक 16-6-1975 में सम्मिलित हो गया था एवं दिनांक 16-6-1975 का निर्णय ही अन्तिम आदेश था । अतः राजस्थान सरकार द्वारा दिनांक 13-9-1971 के निर्णय को खोले जाने का आदेश गलत है, बल्कि दिनांक 16-6-1975 का आदेश ही अन्तिम आदेश होने के कारण राजस्थान सरकार, आदेश दिनांक 16-6-1975 को ही खोल सकती थी । दिनांक 31-10-1975 के निर्णय द्वारा भी नये सीलिंग कानून के तहत सीलिंग सीमा से अधिक भूमि नहीं होना मानते हुये कार्यवाही समाप्त कर दी गयी थी । अतः पुराने एवं नये सीलींग कानून के तहत कार्यवाही हो जाने के पश्चात राजस्थान सरकार को प्रकरण पुनः खोलने का अधिकार नही था । विचारण न्यायालय ने विवादित आराजी पैतृक सम्पत्ति होना मानकर, अपीलार्थी के तीन पुत्रों का काल्पनिक अंश अपीलार्थी के साथ सम्मिलित कर दिया है । जबकि पैतृक सम्पत्ति होने के कारण प्रत्येक पुत्र का काल्पनिक अंश अपीलार्थी के साथ नहीं जोड़ा जा सकता है । अतः विचारण न्यायालय द्वारा की गयी गणना सन् 1963 के नियम-17(1) एवं 17(4) की भावना के विपरीत है । राजस्थान सरकार द्वारा अधिनियम की धारा-15(2) के अन्तर्गत परिसीमा अवधि के पश्चात आदेश पारित किया गया है। अतः उपरोक्त तथ्यों को दृष्टिगत रखते हुये अपील स्वीकार किया जाना न्यायोचित है।

विद्वान अभिभाषक अपीलार्थी ने अपने पक्ष के समर्थन में निम्न न्यायिक दृष्टान्त प्रस्तुत किये :-

(1) 1981 आर.आर.डी. पृष्ठ-414
(2) 1990 आर.आर.डी. पृष्ठ-708
(3) 2012 आर.आर.डी. पृष्ठ-47
(4) 2003(1) डी.एन.जे. (उच्चतम न्यायालय). पृष्ठ-17
(5) 2007(1) आर.एल.डब्ल्यू. (राजस्थान) पृष्ठ-83
(6) 2005(2) आर.एल.डब्ल्यू. (राजस्थान) पृष्ठ-420
(7) 2006(2) आर.एल.डब्ल्यू. (राजस्थान) पृष्ठ-773
(8) 2006(1) आर.एल.डब्ल्यू. (राजस्थान) पृष्ठ-173
(9) 2006-07 आर.आर.टी. पृष्ठ-54 एवं 81
(10) 1988 आर.आर.डी. पृष्ठ-367

5- इसके विपरीत विद्वान उप राजकीय अभिभाषक प्रत्यर्थी का कथन है कि मूल रूप से दिनांक 13-9-1971 को पारित निर्णय में दिनांक 1-4-1966 के पश्चात हुये को विभाजन की मान्यता प्रदान की थी । अतः राजस्थान सरकार ने विधिनुकूल रूप से प्रकरण को पुन- खोले जाने के आदेश पारित किये हैं । जिसके अनुसरण में विचारण न्यायालय ने आलोच्य निर्णय दिनांक 30-9-1999 को पारित करने में किसी प्रकार की अवैधानिकता कारित नहीं की है। उनका यह भी कथन है कि प्रकरण के गुणावगुण को दृष्टिगत रखते हुये परिसीमा के तकनीकी बिन्दु का गुणावगुण पर निस्तारण किया जाना अपेक्षित नहीं है । विचारण न्यायालय ने आलोच्य निर्णय पारित करने में किसी प्रकार की त्रुटि कारित नहीं की है । निष्कर्षतः हस्तगत् अपील निरस्त किये जाने योग्य है ।

6- मैंने उभय पक्ष के विद्वान अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का आद्योपांत अवलोकन किया ।

7- पत्रावली के अवलोकन से यह तथ्य निर्विवादित है कि विद्वान उप खण्ड अधिकारी, नैनवा द्वारा दिनांक 13-9-1971 को पारित निर्णय को राजस्थान सरकार ने अधिनियम की धारा-15(2) के अन्तर्गत प्रकरण पुनः खोल कर निर्णय हेतु विचारण न्यायालय को प्रतिप्रेषित किया है । अधिनियम की धारा-15(2) के अन्तर्गत निरसित अधिनियम के प्रकरण खोले जाने पर निरसित अधिनियम के अन्तर्गत ही प्रकरण का निर्णय किया जाना अपेक्षित है ।

8- आलोच्य निर्णय दिनांक 30-9-1999 के अवलोकन से यह प्रतीत होता है कि विचारण न्यायालय ने यद्यपि भूमिधारी द्वारा धारित भूमि के स्टेन्डर्ड एकड़ की गणना निरसित अधिनियम के अन्तर्गत ही की है, लेकिन विचारण न्यायालय ने सीलिंग हेतु अधिशेष भूमि की गणना निरसित अधिनियम के अन्तर्गत नहीं कर राजस्थान कृषि जोतों पर अधिकतम जोत सीमा अधिरोपण अधिनियम, 1973 के अन्तर्गत की है जबकि अधिनियम की धारा-15(2) के अन्तर्गत उपरोक्त दोनों प्रकार की गणना निरसित अधिनियम के अन्तर्गत ही किया जाना अपेक्षित है एवं निरसित अधिनियम में परिवार की गणना में व्यस्क एवं अव्यस्क पुत्रों में अन्तर नहीं किया जाकर मात्र उनकी निर्भरता का आंकलन किया जाना ही अपेक्षित है।

9- विचारण न्यायालय ने अधिनियम के अन्तर्गत अधिशेष भूमि की गणना करने का कोई कारण भी आलोच्य निर्णय में अंकित नहीं किया है जिससे यह निष्कर्ष निकाला जा सके कि विचारण न्यायालय द्वारा अधिनियम की धारा-4(1) के द्वितीय परन्तुक के अनुसरण में कार्यवाही की गयी है ।

10- यद्यपि नियमानुसार आश्रित पुत्र के अंश को भी पिता द्वारा धारित भूमि में सम्मिलित किया जाना प्रावधित है, लेकिन विचारण न्यायालय ने राजस्थान काश्तकारी (कृषि जोतों पर सीमा का निर्धारण) (सरकार) नियम-1963 के नियम-17(1) एवं 17(4) के प्रभाव का भी आलोच्य निर्णय में विवेचन नहीं किया है ।

11- आलोच्य निर्णय के अवलोकन से यह तो स्पष्ट है कि विचारण न्यायालय ने विद्वान अभिभाषक अपीलार्थी / अप्रार्थी की बहस का तो निर्णय में अंकन किया है परन्तु उनके द्वारा प्रस्तुत तर्को का विवेचन एवं विश्लेषण आलोच्य निर्णय में नहीं किया गया है ।

12- अतः विधि एवं तथ्यों के उपरोक्त मिश्रित बिन्दुओं पर विचारण न्यायालय द्वारा जांच कर पुनः निर्णय पारित किये जाने हेतु प्रकरण विचारण न्यायालय को प्रतिप्रेषित किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है ।

13- जहां तक विद्वान अभिभाषक अपीलार्थी द्वारा अधिनियम की धारा-15(2) के अन्तर्गत अन्तिम आदेश दिनांक 13-9-1971 का नहीं होकर दिनांक 16-6-1975 का होने, प्रकरण पुनः खोलने का अधिकार एवं परिसीमा का प्रश्न है । इस संबंध में अपीलार्थी द्वारा अधिनियम की धारा-15(2) के अन्तर्गत कार्यवाही करते समय राजस्थान सरकार के समक्ष अथवा अन्य सक्षम प्राधिकारी के समक्ष कोई आपत्ति प्रस्तुत नहीं की गयी है । अतः

अधिनियम की धारा-15(2) के अन्तर्गत राजस्थान सरकार द्वारा की गयी कार्यवाही को अपील के प्रक्रम पर विवादित किये जाने से अपीलार्थी विबन्धित है ।

14- निष्कर्षतः उपरोक्त विवेचन के आलोक में हस्तगत् अपील आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है एवं विद्वान अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रशासन) बून्दी द्वारा पारित निर्णय दिनांक 30-9-1999 निरस्त किया जाता हैं तथा विचारण न्यायालय को प्रकरण प्रतिप्रेषित कर निर्देशित किया जाता है कि वह उपरोक्त प्रेक्षणों की पृष्ठभूमि में उभय पक्ष को युक्ति युक्त सुनवाई का अवसर प्रदान कर निर्धारित दिनांक 25-2-1958 एवं 1-4-1966 को अपीलार्थी द्वारा धारित भूमि के संबंध में पुनः विधिनुकूल निर्णय पारित करें ।

निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

(प्रमिल कुमार माथुर)
सदस्य